प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेवाओं के आयात पर सेवाकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों में मार्च 2012 तक की अवधि को शामिल करते हुए की गई लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल है। इस प्रतिवेदन में सिफारिशों सहित हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।